न्यायालय— सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी, जिला— पाली

पीठासीन अधिकारी— श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व मूल वाद संख्या— 40/2018
तारीख अंतिम निर्णय/डिक्री—28/07/2022

वादीगण—

1— मदनसिंह पुत्र किशोरसिंह, आयु— 62 वर्ष,
2— श्रीमति रामकंवर पत्नि किशोरसिंह, आयु— 90 वर्ष,
3— कानसिंह पुत्र किशोरसिंह, आयु— 55 वर्ष,
4— लालसिंह पुत्र किशोरसिंह, आयु— 50 वर्ष,
जातिगण— पुरोहित, निवासीगण— वाडका, तहसील— देसूरी, जिला— पाली

—: विरूद्ध :—

प्रतिवादीगण—

1— अचलसिंह पुत्र समरथसिंह, आयु— 90 वर्ष,
2— अमरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह, आयु— 60 वर्ष,
3— चम्पालाल पुत्र छोगसिंह, आयु— 55 वर्ष,
4— नेनसिंह पुत्र समरथसिंह, आयु— 77 वर्ष,
5— प्रभुसिंह पुत्र दीपसिंह आयु— 56 वर्ष,
6— पर्वतसिंह पुत्र छोगसिंह, आयु— 45 वर्ष,
7— भंवरसिंह पुत्र भोपालसिंह, आयु— 80 वर्ष,
8— श्रीमति भंवरी पत्नि हमीरसिंह, आयु— 65 वर्ष,
9— भवानीसिंह पुत्र दीपसिंह, आयु— 42 वर्ष,
10— महेन्द्रसिंह पुत्र छोगसिंह, आयु— 59 वर्ष,
11— हरिसिंह पुत्र दीपसिंह, आयु—' 59 वर्ष,
जातिगण— पुरोहित, निवासीगण— वाडका, तहसील— देसूरी, जिला— पाली
12— तहसीलदार, देसूरी भूमिधारी राज्य सरकार।

—: वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, [illegible] काश्त0 अधिनियम 1955 :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:40 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति—

—क्रमशः पेज 2 पर......

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

1– श्री दिलीप व्यास अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

2– श्री भरत कुमार अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से अनुपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक–28/07/2022

(अंतिम डिक्री)

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि– वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा– 53, 188, 92ए राजस्थान काश्त0 अधिनियम 1955 के तहत इस इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरहद ग्राम– वाडका, पटवार हल्का दादाई, तहसील– देसूरी, जिला– पाली राज. मे स्थित वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगाय 11 की संयुक्त की संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की अविभाजि आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर– 182 क्षेत्रफल– 0.2900 हैक्टर किस्म चाही दोयम, लगान रूपये– 8.70 विद्यमान है, जिसमे वादीगण का प्रत्यके का 1/60–1/60 यानि कुल मिला कर वादीगण का 1/15 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/15 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/15 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/18 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/15 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/9 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/18 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/6 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/15 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/9 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 का 1/18 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 का 1/9 वां हिस्सा संयुक्त खातेदारी आधिपत्य का अविभाजि विद्यमान है, जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नही हुआ है। जिससे वादीगण वादग्रस्त आराजी का इसकी मौका स्थिति एवं उपयोगिता के मध्य नजर रखते हुऐ कानूनन बाई मिट्स बाउण्डस विभजन करवा कर अपने खातेदारी के 1/15 हिस्से की आराजी का अलग बंट करवाना चाहते है, जिसका वादीगण को अधिकार है। जिस हेतू प्रतिवादीगण को कहने पर आज कल बता कर टालम–टोली कर रहे है एवं एवं विभाजन [illegible] र नही हो रहे है जिससे वादीगण वादग्रस्त आराजी [illegible] ने हेतु एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतू यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी [illegible] अन्तर्गत धारा– 53, 188,

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Sehtar
Date: 2022.10.14 12:26:40 IST
Reason: SelfAttested

—क्रमशः पेज– 3 पर.......

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ) देसूरी (पाली)

92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के हत प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि मौजा सरहद गांव– वाडका, पटवार क्षेत्र– दादाई, तहसील– देसूरी मे स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर– 182 क्षेत्रफल– 0.2900 हैक्टर किस्म चाही दोयम, लगान रूपये– 8.70 का मौका स्थिति, उपयोगीता, रास्ता आदि को मध्य नजर नजर रखते हुए वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या–1 से 11 के मध्य खातेदारी हिस्सेनुसार कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करवाया जाकर वादीगण के 1/15 हिस्से की आराजी का पृथक बंट किया जाकर पृथक कब्जा वादीगण को दिलाया जावे एवं लगान का भी बंट किया जावे एवं खाते अलग अलग करवाये जावे एवं माफिक बंटवाडा राजस्व अभिलेख मे अमलदरामद एवं नक्शा मे तरमीमात किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या– 2, 5 बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा शेष प्रतिवादीगण संख्या 1,3,4,6,7,8,9,10,11 की ओर से वकील श्री भरत कुमार ने वकालतनामा पेश किया। जबाब दावा पेश नही करने पर जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रकरण मे वादीगण की शहदत ली जाकर वकील वादीगण की एक तरफा बहस समयत की जाकर न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन अनुसार दिनांक– 05/04/2021 को निर्णय पारित किया जाकर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस आशय की प्राथमिक डिक्री सादिर की गई कि– मौजा सरहद ग्राम– वाडका, पटवार हल्का दादाई, तहसील– देसूरी, जिला– पाली राज. मे स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर– 182 क्षेत्रफल– 0.2900 हैक्टर किस्म चाही दोयम, लगान रूपयां– 8.70 का इनके खातेदारी के हिस्सो अनुसार वादीगण का 1/15 वां हिस्सा घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या– 1 का 1/15 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/15 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/18 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या [illegible] 15 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/9 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 [illegible] 18 वां हिस्सा, प्रतिवादी

—क्रमशः पेज– 4 पर.......

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

संख्या 7 का 1/6 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/15 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 का 1/18 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 का 1/9 वां हिस्सा घोषित किया जाता है। तदनुसार वादीगण का हिस्सा पृथक किया जाकर मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार देसूरी को आदेशित किया जाता है कि तदनुरूप वादीगण एवं प्रतिवादीगणो का हिस्सा पृथक पृथक करके बंटवाडा प्रस्ताव पृथक पृथक रंगो से दर्शाता हुए मय नक्शा की दो प्रतियों मे न्यायालय मे प्रस्तुत करे। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो। तहसीलदार, देसूरी को प्राथमिक निर्णय डिक्री की पालना हेतू तहरीर जारी हो।

प्राथमिक डिक्री की पालना मे तहसीलदारजी, देसूरी द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव मय नक्शा न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। जिसका अवलोकन किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव मे तहसीलदार, देसूरी द्वारा नोट लगाकर जाहीर किया कि बंटवाडा प्रस्ताव मे प्रतिवादी संख्या–4 फौत हो जाने से नामान्तरकरण संख्या– 221 भरा गया, जिसके कारण प्रतिवादी संख्या–04 के स्थान पर जीवराजसिंह पुत्र नेनसिंह, दिनेशसिंह पुत्र नेनसिंह, मुन्नाकंवर पुत्री नेनसिंह दर्ज हुआ। अतः प्रतिवादी संख्या–4 के फौत हो जाने से उसके स्थान पर उसके उक्त वारिसान को पक्षकार माना जायेगा।

बंटवाडा प्रस्ताव पर वकील वादीगण को सुना गया। वकील वादीगण बंटवाडा प्रस्ताव से सहमत है एवं बंटवाडा प्रस्तात के संबंध मे कोई आपत्ति नही होना जाहिर करते हुए माफिक बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार वाद मे अंतिम डिक्री सादिर किये जाने का निवेदन किया गया। अतः माफीक बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार वाद अंतिम डिक्री योग्य न्याय संगत मानती हूँ।

Signature Not Verified

:: आदेश ::

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:40 IST
Reason: SelfAttested

अतः मौजा ग्राम– [illegible] तहसील– देसूरी मे स्थित खसरा नम्बर– 182 क्षेत्रफल– 0.2900 है[illegible] किस्म चाही दोयम, लगान

—क्रमशः पेज– 5 पर.......

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

रूपयां– 8.70 की माफीक तहसीलदारजी, देसूरी द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव व उसके सलंग्न नक्शानुसार वाद में अंतिम निर्णय/डिक्री निम्न प्रकार सादिर की जाती है :–

(1)– मदनसिंह पुत्र किशोरसिंह, जाति– पुरोहित सा. देह खातेदार हिस्सा–1/4, रामकंवर पत्नि किशोरसिंह, जाति– पुरोहित सा. देह खातेदार हिस्सा–1/4, कानसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति– पुरोहित, सा. देह खातेदार हिस्सा–1/4, लालसिंह पुत्र किशोरसिंह, जाति– पुरोहित, सा. देह खातेदार हिस्सा–1/4–

खसरा नं0	रकबा हैक्टर मे	किस्म	लगान रू0
182/1	0.0193 हैक्टेयर	चाही दोयम	0.58

कुल खसरा–1 कुल क्षेत्रफल– 0.0193 हैक्टेयर कुल लगान रू0–0.5800

(2)– अचलसिंह पुत्र समरथसिंह हिस्सा–193/2707, जाति– पुरोहित, सा. देह खातेदार रहिन हिस्सा 193/2707 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा दादाई, अमरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हिस्सा–193/2707 जाति पुरोहित सा. देह खातेदार, चम्पालाल पुत्र छोगसिंह हिस्सा– 161/2707 जाति पुरोहित सा. देह खातेदार, जीवराजसिंह पुत्र नेनसिंह हिस्सा–65/2707 जाति पुरोहित सा. देह खातेदार रहिन सम्पूर्ण हिस्सा स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा रानी, दिनेशसिंह पुत्र नेनसिंह हिस्सा–65/2707 जाति– पुरोहित सा. देह खातेदार रहिन सम्पूर्ण हिस्सा स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा रानी, प्रभुसिंह पुत्र दीपसिंह हिस्सा–322/2707 जाति पुरोहित सा. देह खातेदार, पर्वतसिंह पुत्र छोगसिंह हिस्सा–161/2707 जाति पुरोहित सा. देह खातेदार, भंवरसिंह पुत्र भोपालसिंह हिस्सा–484/2707 जाति पुरोहित सा. देह खातेदार, भंवरी पत्नि हमीररसिंह हिस्सा–193/2707 जाति पुरोहित सा. देह खातेदार, [illegible] हिस्सा–322/2707 जाति पुरोहित सा.देह खातेदार, मुन्नाकंवर पुत्री [illegible] हिस्सा–65/2707 जाति पुरोहित सा. देह खातेदार र[illegible] इंडिया शाखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:40 IST
Reason: SelfAttested

—क्रमशः पेज– 6 पर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

रानी, महेन्द्रसिंह पुत्र छोगसिंह हिस्सा–161/2707 जाति पुरोहित सा. देह खातेदार, हरीसिंह पुत्र दीपसिंह हिस्सा–322/2707 जाति पुरोहित सा. देह खातेदार

खसरा नं0	रकबा हैक्टर मे	किस्म	लगान रू0
182	0.2707 हैक्टेयर	चाही दोयम	8.12

कुल खसरा–1 कुल क्षेत्रफल– 0.2707 हैक्टेयर कुल लगान रू0– 8.1200

उपरोक्तानुसार बंटवाडा की अंतिम डिक्री सादिर की जाती है। प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव व उसके साथ सलग्न नक्शा को इस निर्णय डिक्री का भाग माना जावे। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद एवं नक्शा मे तरमीमात किया जावे। तदनुरूप अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर, देसूरी

निर्णय आज दिनांक–28/07/2022 को खुले न्यायालय मे को सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर, देसूरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:40 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अंतिम डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)

राजस्व मूल वाद संख्या– 40/2018

वादीगण–

1– मदनसिंह पुत्र किशोरसिंह, आयु– 62 वर्ष,
2– श्रीमति रामकंवर पत्नि किशोरसिंह, आयु– 90 वर्ष,
3– कानसिंह पुत्र किशोरसिंह, आयु– 55 वर्ष,
4– लालसिंह पुत्र किशोरसिंह, आयु– 50 वर्ष,
जातिगण– पुरोहित, निवासीगण– वाडका, तहसील– देसूरी, जिला– पाली

–: विरूद्ध :–

प्रतिवादीगण–

1– अचलसिंह पुत्र समरथसिंह, आयु– 90 वर्ष,
2– अमरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह, आयु– 60 वर्ष,
3– चम्पालाल पुत्र छोगसिंह, आयु– 55 वर्ष,
4– नेनसिंह पुत्र समरथसिंह, आयु– 77 वर्ष,
5– प्रभुसिंह पुत्र दीपसिंह आयु– 56 वर्ष,
6– पर्वतसिंह पुत्र छोगसिंह, आयु– 45 वर्ष,
7– भंवरसिंह पुत्र भोपालसिंह, आयु– 80 वर्ष,
8– श्रीमति भंवरी पत्नि हमीरसिंह, आयु– 65 वर्ष,
9– भवानीसिंह पुत्र दीपसिंह, आयु– 42 वर्ष,
10– महेन्द्रसिंह पुत्र छोगसिंह, आयु– 59 वर्ष,
11– हरिसिंह पुत्र दीपसिंह, आयु–' 59 वर्ष,
जातिगण– पुरोहित, निवासीगण– वाडका, तहसील– देसूरी, जिला– पाली
12– तहसीलदार, देसूरी भूमिधारी राज्य सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:40 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा– 53, 188, 92 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 :–

–कमशः पेज– 2 पर.......

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मुकदमा नम्बर– राजस्व मूल वाद संख्या– 40/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनिफिसाल कत्तई रूबरू हमारे वकील श्री दिलीप व्यास मिनजानिब मुद्धईयान, मुद्धायलाहीम की ओर से कोई नही ++ पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिगरी दी जाती है कि– अतः मौजा ग्राम– वाडका, पटवार क्षेत्र– दादाई, तहसील– देसूरी मे स्थित खसरा नम्बर– 182 क्षेत्रफल– 0.2900 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, लगान रूपयां– 8. 70 की माफीक तहसीलदारजी, देसूरी द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव व उसके सलंग्न नक्शानुसार वाद में अंतिम निर्णय डिक्री निम्न प्रकार सादिर की जाती है :–

(1)– मदनसिंह पुत्र किशोरसिंह, जाति– पुरोहित सा. देह खातेदार हिस्सा–1/4, रामकंवर पत्नि किशोरसिंह, जाति– पुरोहित सा. देह खातेदार हिस्सा–1/4, कानसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति– पुरोहित, सा. देह खातेदार हिस्सा–1/4, लालसिंह पुत्र किशोरसिंह, जाति– पुरोहित, सा. देह खातेदार हिस्सा–1/4

खसरा नं0	रकबा हैक्टर मे	किस्म	लगान रू0
182/1	0.0193 हैक्टेयर	चाही दोयम	0.58

कुल खसरा–1 कुल क्षेत्रफल– 0.0193 हैक्टेयर कुल लगान रू0–0.5800

(2)– अचलसिंह पुत्र समरथसिंह हिस्सा–193/2707, जाति– पुरोहित, सा. देह खातेदार रहिन हिस्सा 193/2707 [illegible] बैंक शाखा दादाई, अमरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हिस्सा–193/2707 [illegible] हित सा. देह खातेदार, चम्पालाल पुत्र छोगसिंह हिस्सा–161/2707 जाति– [illegible] सा. देह खातेदार, जीवराजसिंह पुत्र नेनसिंह हिस्सा–65/2707 [illegible] पुरोहित सा. देह खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:40 IST
Reason: SelfAttested

—क्रमशः पेज– 3 पर......

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

रहिन सम्पूर्ण हिस्सा स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा रानी, दिनेशसिंह पुत्र नेनसिंह हिस्सा–65/2707 जाति– पुरोहित सा. देह खातेदार रहिन सम्पूर्ण हिस्सा स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा रानी, प्रभुसिंह पुत्र दीपसिंह हिस्सा–322/2707 जाति पुरोहित सा. देह खातेदार, पर्वतसिंह पुत्र छोगसिंह हिस्सा–161/2707 जाति पुरोहित सा. देह खातेदार, भंवरसिंह पुत्र भोपालसिंह हिस्सा–484/2707 जाति पुरोहित सा. देह खातेदार, भंवरी पत्नि हमीरसिंह हिस्सा–193/2707 जाति पुरोहित सा. देह खातेदार, भवानीसिंह पुत्र दीपसिंह हिस्सा–322/2707 जाति पुरोहित सा.देह खातेदार, मुन्नाकंवर पुत्री नेनसिंह हिस्सा–65/2707 जाति पुरोहित सा. देह खातेदार रहिन सम्पूर्ण हिस्सा स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा रानी, महेन्द्रसिंह पुत्र छोगसिंह हिस्सा–161/2707 जाति पुरोहित सा. देह खातेदार, हरीसिंह पुत्र दीपसिंह हिस्सा–322/2707 जाति पुरोहित सा. देह खातेदार

खसरा नं0	रकबा हैक्टर मे	किस्म	लगान रू0
182	0.2707 हैक्टेयर	चाही दोयम	8.12

कुल खसरा–1 कुल क्षेत्रफल– 0.2707 हैक्टेयर कुल लगान रू0– 8.1200

उपरोक्तानुसार बंटवाडा की अंतिम डिक्री सादिर की जाती है। प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव व उसके साथ सलग्न नक्शा को इस निर्णय डिक्री का भाग मान्य जावे। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे [illegible] एवं नक्शा मे तरमीमात किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अ[illegible] करेगे। बरोज ++ मुबलिक ++ बाबत ++ [illegible] फीस सदी सालाना आज की तारीख से तारीख [illegible] ++ ....को अदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:40 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः पेज– 4 पर.......

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (रानी)

करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख–28 माह07 सन् 2022

मोहर

दस्तखत
सहायक कलेक्टर
औहदा (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मुद्दई	रूपयां पैसा	मुद्दायलास	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजान		मिजान	

नोट– इस खर्चे के फाम पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:40 IST
Reason: SelfAttested

...काश्तकार

...वाईनम)

...- देसूरी

... = 9 बीघा - 20 ...

भारतीय गैर न्यायिक

सौ रुपये

₹ 100

ONE HUNDRED

INDIA NON JUDICIAL

RAJASTHAN

वादीगण का हिस्सा

शेष हिस्सा प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

तहसीलदार देसूरी जिला-पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:40 IST
Reason: SelfAttested

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान सरकार

उप कोषालय

पाली (पाली) राजस्थान

BH 361637

राजस्थान RAJASTHAN

[illegible] वाद संख्या 60/2018

[illegible]

[illegible] के अंतिम डिक्री के अनुसार है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:40 IST
Reason: SelfAttested

आधार - 7204 9782 2602

स्टाम्प मुद्रांक विक्रेता अनुज्ञा पत्र संख्या 16/2019-20

रजिस्टर क्रम संख्या 2101 दिनांक 25/07/2022

100/-

मदनसिंह

किशोरसिंह - राठौड़ बोरावड़

पुरोहित नारायण 70 - 61313 (होटल यो...)

क्रेता/दस्ती के हस्ताक्षर

मुद्रांक विक्रेता के हस्ताक्षर

मदनसिंह

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर अधिरोपित अधिभार	
1. आधारभूत ... हेतु	10
2. गाय ... हेतु	10
3. प्राकृतिक ... निवारण हेतु	10
कुल योग	30
हस्ताक्षर स्टाम्प वेन्डर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:40 IST
Reason: SelfAttested